केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00110

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00266

अपीलकर्ता श्री राहुल प्रसाद मसीह

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.06.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.06.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.06.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.अनंतथारमन, CPIO (DR to VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.09.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	24.09.2024
निर्णय की तारीख	11.10.2024

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.06.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"कृपया निम्नलिखित सूचना निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाये -

1.) प्रार्थी द्वारा प्रेषित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय दिनाँक 19-12-2023 विरुद्ध जन सूचना अधिकारी/रक्षा सम्पदा अधिकारी, रक्षा सम्पदा कार्यालय, आगरा मंडल, आगरा छावनी के सन्दर्भ में कार्यालय उपरोक्त स्तर से कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाए।

2.) यदि प्रार्थी की उपरोक्त अपील पर कार्यालय उपरोक्त स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो कारण सहित विवरण उपलब्ध करवाये।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.अनंतथारमन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 21.06.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

Point 1. - Your second appeal dated 19.12.2023 diarized vide Diary No. 148827 and the same was registered as a second appeal vide file No. CIC/DIGDE/A/2023/148827. Matter will be listed for hearing before the Commission in due course of time.

Point 2. - Action has been taken on letter (second appeal) dated 19.12.2023."

3. प्रथम अपील का आधार

"सम्पूर्ण वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गई है।."

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00266 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 14.10.2024

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
14 OCT 2024
D. No.
Initials.

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

14/10/24

o/c